न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री सांवरलाल आबासरा, आर.ए.एस.

दायर दिनांक 28.07.2022
निर्णय दिनांक 30.06.2025

मु.नं. 47/22
ऑन लाईन नम्बर 2022/116

1. श्री रमेशचन्द्र भोई पिता स्व. चुन्नीलाल भोई
2. श्री महेशचन्द्र भोई पिता स्व. चुन्नीलाल भोई
3. श्री सुरेशचन्द्र भोई पिता स्व. चुन्नीलाल भोई
4. श्रीमती कान्ता कुमारी पिता स्व. चुन्नीलाल भोई
5. श्रीमती सूर्य कान्ता पिता स्व. चुन्नीलाल भोई
6. श्रीमती रीता पिता स्व. चुन्नीलाल भोई
7. श्रीमती भारती पिता स्व. चुन्नीलाल भोई
8. श्रीमती अनिता पत्नी दिनेशचन्द्र भोई

समस्त निवासीयान डूंगरपुर तहसील एवं जिला डूंगरपुर राजस्थान

प्रार्थी

–: बनाम :–

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार डूंगरपुर तहसील व जिला डूंगरपुर

विपक्षी

वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः–

श्री अभिषेक उपाध्याय –प्रार्थीगण की ओर से
पेरोकार सरकार –विपक्षी की ओर से

–: निर्णय :–

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट.विरूद्ध विपक्षी के न्यायालय में इस इस आशय का पेश किया है कि वादीगण के पूर्वज स्व. चुन्नीलाल पिता गोविन्दजी भोई निवासी भोईवाडा डूंगरपुर वादीगण के पूर्वज मौजा डूंगरपुर शहर के खाता संख्या 230 के खसरा संख्या 1280 मे से 6.1 बीघा (सवा छः बीघा) भूमि के खातेदार काश्तकार थे। वादीगण के पूर्वज स्व. चुन्नीलाल को उक्त 5 बीघा भूमि को बचेने का इकरार झालण मठ डूंगरपुर के तत्कालीन मंहत श्री ललीतनाथ गुरू उँकारनाथजी द्वारा दिनांक 01.02.1967 को किया था, किन्तु महंत झालण मठ द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र पंजीयन सम्पादित नही करवाने के कारण सिविल जल कोर्ट डूंगरपुर में वाद विचाराधीन होकर मुकदमा नम्बर 50/67 दिनांक 08.09.1970 को वादीगण के पूर्वज स्व. चुन्नीलाल भोई के उक्त 5 बीघा भूमि को बेचने का इकरार झालण मठ डूंगरपुर के तत्कालीन मंहत श्री ललीतनाथ गुरू उँकारनाथजी द्वारा 01.02.1967 को किया था, झालण मठ द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र पंजीयन सम्पादित नही करवाने के कारण सिविल जल कोर्ट डूंगरपुर में वाद विचाराधीन होकर मुकदमा नम्बर 50/67 दिनांक 08.07.1970 को वादीगण के पूर्वज स्व. चुन्नीलाल भोई के हक में निर्णित किया गया। माननीय न्यायालय के निर्णय व डिकी की पालना में महंत द्वारा पंजीयन कार्यालय आकर पंजीयन नही कराने के कारण माननीय न्यायालय स्वयं द्वारा विकय पत्र तकमील (पंजीकृत) कराया। प्रार्थीगण के पूर्वज ने उक्त भूमि

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

से पहले भी झालण मठ के महंत श्री ललीतनाथ उँकारनाथ से सवा छः बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.06.1965 को खरीदी थी। प्रार्थीगण के पूर्वज स्व. चुन्नीलाल भोई के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरकरण संख्या 150 दर्ज हो गया था किन्तु इसके पश्चात् श्री राज्य सरकार द्वारा वादीगण के पूर्व स्व. चुन्नीलाल भोई के नाम नामान्तरण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के समक्ष पेश किया। माननीय न्यायालय ने रूपये 33,750/- अक्षरे तैतीस हजार सात सौ पचास रूपये वादीगण के पूर्वज स्व. चुन्नीलाल भोई को मठ झालण के मन्दिर कोष में जमा कराकर रसीद पेश करने का आदेश दिनांक 28.01. 1985 को किया गया। वादीगण के पूर्वज स्व. चुन्नीलाल भोई की ओर से 33750/- रूपये जमा कराकर माननीय न्यायालय के आदेश की पालना की गई तथा स्वयं महंत ने भी राशि रूपये 33750 प्राप्त कर अपना प्रार्थना पत्र विड्रो किया। प्रार्थीगण के पूर्वज सिविल न्यायालय डूंगरपुर तथा कलक्टर महोदय के न्यायालय से प्रकरणों को अपने पक्ष में होने से अब तक लगातार दिनांक 25.06.1965 से वादीगण पूर्वज के समय से वादीगण वादग्रस्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है। स्व. चुन्नीलाल भोई के पुत्र दिनेशचन्द्र व पत्नली हेमन्तबाई की मृत्यु हो चुकी है। स्व. दिनेशचन्द्र पत्नी वादीया संख्या 8 है।

प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान में पटवारी पटवार हल्का मौजा डूंगरपुर के खाते की नकल लेने से जानकारी मिली कि इस पर पटवारी हल्का डूंगरपुर द्वारा परिपत्र 2/4/रा.-4/90/37 दिनांक 13.12.1991 का हवाला देकर जमाबंदी पर नोट अंकित किया कि उक्त परिपत्र की पालना में पुजारी का नाम हटाया गया। यह परिपत्र प्रार्थीगण की भूमि पर लागु नही होता है तथा न ही प्रार्थीगण काश्कार हो पुजारी की श्रेणी में नही आता है इसलिये इस नोट को हटाया जाकर वादीगण के स्वतन्त्र स्वामीत्व की भूमि होने की इन्द्राज दुरूस्ती करायी जानी आवश्यक है। राज्य सरकार पक्षकार है किन्तु वाद तत्काल एवं आवश्यक प्रकृति का होने से धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिया जाना सम्भव नही होने से वाद के साथ 80 सीपीसी. का नोटिस प्रस्तुत किया है। वादीगण के खाता संख्या 230 खसरा संख्या 1280 रकबा 11-5 बीघा सवा ग्यारह बीघा भूमि की जमाबंदी में अंकित परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के अन्तर्गत विशेष नोट हटाया जाकर वादीगण को उक्त वादग्रस्त भूमि का स्वतंत्र स्वामी माना जाने तथा भूमि वर्गीकरण सुधारा जाने प्रार्थना पत्र दिनांक 28.07.2022 को प्रस्तुत किया।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस जवाब तलब किया।

तहसीलदार डूंगरपुर के पत्रांक 1155 दिनांक 24.07.2024 द्वारा भूमिधारी तहसीलदार की ओर से भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का डूंगरपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण में दर्ज खसरा नम्बर 1280 रकबा 11-5 किस्म झालण मठ का तालाब के नाम दर्ज था जिसकों नामान्तरण 150 के तहत जरिये बेचान का नामान्तरण होकर चुन्नीलाल पिता गोवनजी भोई के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुआ था। कालान्तर में जमाबंदी संवत 2049 से 2052 में

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

खसरा नम्बर 1280 रकबा 11–5 ग्यारह बीघा 5 बिस्वा जो कि चुन्नीलाल के वारीसान रमेशचन्द्र वगैराह के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुआ। जिसको परिपत्र 2/4/रा.4/90/37 दिनांक 13.12.1991 की पालना में पुजारी का नाम हटाया गया था। जमाबंदी संवत 2078 में आराजी संख्या 1280 के तुलनात्मक आराजी संख्या 1558 रकबा 1.8210 हेक्टेयर सहखातेदारान कान्ता कुमारी माफी पुजनार्थ चुन्नीलाल हिस्सा 1/9 जाति भोई सा.देह माफी पुजनार्थ वगैराह 9 खोतेदारों (माफी) के नाम माफी पुजनार्थ दर्ज है जमाबंदी संलग्न की गई। प्रकरण में दर्ज खसरा नम्बर हाल एवं साबिक की जमांदी नकल नामान्तरण संख्या 150 के प्रतिलिपि संलग्न की तथा इसी के संलग्न तहसीलदार भू.अ. डूंगरपुर द्वारा दिनांक 24.07.2024 को जवाब प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि वादी के खाते व कब्जे की होने से वादीगण द्वारा वाद के साथ जमाबंदी रिकॉर्ड के अवलोकन से स्थिति स्पष्ट होने से जमाबंदी में अंकित परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के अन्तर्गत विशेष नोट तथा उसके प्रभाव से वर्तमान जमावंदी खाता संख्या नया 401 खसरा संख्या 1558 में खातेदारों के नाम के आगे माफी पुजनार्थ शब्द हटाये जाने से कोई आपत्ति नही है तथा वादीगण का उक्त प्रार्थना पत्र न्याय हित में स्वीकार किया जाकर धारा 136 ले.रे.एक्ट के अन्तर्गत उक्त भूल को सुधारे जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित है। उक्त जवाब का अवलोकन किया जाकर प्रकरण के संबंध में तहसीलदार डूंगरपुर से पुनः रिपोर्ट चाही गई जिसमें उल्लेखित किया गया कि इस प्रकरण में क्या किया जाना स्पष्ट रिपोर्ट की जावे। इसी कम में तहसीलदार डूंगरपुर के पत्रांक 1199 दिनांक 02.08.2024 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जमाबंदी में अंकित परिपत्र दिनांक 13.12.91 के अन्तर्गत विशेष नोट तथा इसके प्रभाव से वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 401 खसरा संख्या 1558 में खातेदारों के नाम के आगे माफी प्रयोजनार्थ शब्द हटाये जाने से कोई आपत्ति नही होना जाहीर किया गया तथा वादीगण का उक्त प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर धारा 136 ले.रे.एक्ट के अन्तर्गत उक्त भूल को सुधारे जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित होना उल्लेखित किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी से पूर्व से निर्णित आदेश की प्रति एवं एकीकृत जमाबंदी 2014–2034 जो भी स्पष्ट सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करने नियत किया गया। प्रार्थीगण द्वारा दस्तावेज एवं लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसे पत्रावली शामिल किया गया।

प्रार्थी द्वारा दस्तावेज के रूप में ग्राम डूंगरपुर नकल जमाबंदी 2060–2063 खाता संख्या 662 नया 389 पुराना खसरा संख्या 1280 1.8210 रोहन II (काश्तकार रमेशचन्द्र, महेशचन्द्र, सुरेचन्द्र, दिनेशचन्द्र, कान्ताकुमार, सुर्यकान्ता, सीता भारती पिता चुन्नीलाल वो हेमन्ताबाई बेवा चुन्ननीलाल सा.देह हि.व. खातेदार), अंकित है। नकल विकय पत्र 25.08.73, विकय पत्र श्री सिविल जज कोर्ट डूंगरपुर के निर्णय एवं डिकी मुकदमा नम्बर 50/67 निर्णय 8.9.70, न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 16/84 निर्णय दिनांक 28.01.85 राज्य सरकार बनाम चुन्नीलाल वगैराह जिसमें प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 रा. भ राजस्व अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

1956 का हवाला दिया राज्य सरकार द्वारा मंन्दिरो की भूमि हस्तान्तरण के मामलो की जॉच करें यदि किन्ही पुजारियों एवं व्यवस्थापकों द्वारा अवैधानिक हस्तान्तरण कर दिया है, जबकि मंदिरों के खाते की भूमि का हस्तानतरण नही हो सकता है ऐस वारिसदारों जिनके नाम नामान्तरण खोलकर भूमि खाते दर्ज कर दी गई है तो इन मामलो की जॉच कर नामान्नतरण खारजी हेतु राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारर 82 के तहत राजस्व मण्डल को रेफरेन्स किया जावे। तद्उपरान्त तहसीलदार डूंगरपुर ने मठ झालण के खाते की आराजी नम्बर 1280 रकबा 11–5 बिघा किस्म रोहन II विपक्षी श्री चुन्नीलाल पिता गोविन्द भोई निवासी डूंगरपुर के नाम जरिये नामान्तरण संख्या 150 द्वारा स्वीकृत होकर विपक्षी के खाते दर्ज हो चुकी है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर विपक्षी के नाम नोटिस दिनांक 05.04.84 को इस आशय का जारी किया गया कि मठ की भूमि आपको जो बेचान की गई है वह अवैधानिक है क्यों न आपके नाम हुआ नामान्तकरण खारजी हेतु राजस्व मण्डल को रेफरेन्स किया जावे। विपक्षी चुन्नी के नाम जारी शुदा नोटिस अदम तामिल इस आशय से प्राप्त होने से कि विपक्षी फौत हो चुका है तो फिर तहसीलदार से उनके वारिसानों की सूची मांगी गई तो क.सं. 1 से 9 तक पेश हुई इनको कायम मुकाम बनाये जाकर इन नये विपक्षियों के नाम नोटिस जारी किये गये। विपक्षीयों की तरफ से अभिभाषक पत्र पेश हुआ, वकील विपक्षी की तरफ से कोई जवाब पेश न करते हुए अदालत का धयान शासन सचिव राजस्व ग्रुप–3 राजस्थान जयपुर के पत्र संख्या एफ 21(97राज/1/79 दिनांक 24.04.1982 की ओर आकर्षित किया। उक्त परिपत्र द्वारा राज्य सरकार ने यह व्यवस्था की है कि जिन मंदिरों की कृषि भूमि जिसे पुजारियों अथवा व्यवस्थापकों ने अवैध रूप से बेचान एवं हस्तान्तरण कर दिया है जो अन्य व्यक्तियों के कब्जे में है ऐसी भूमि को प्रचलित वर्तमान बाजार दर पर जो जिलाधीश द्वारा प्रमाणित की जायेगी, निम्नलिखित व्यक्तियों को बेचान किये जाने तथा प्राप्त राशि का संबंधित मंदिर के कोष में जमा करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। क–जिन्होने ऐसी भूमि पुंजारियों से 1.1.70 से पूर्व नियमित एवं कानूनी विकय पत्र द्वारा खरीद की है और अब तक ऐसी भूमि पर काबिज है, अन्यथा ख–जो 31.12.1969 से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में उप कृषक दर्ज थे, जब से संवधित भूमि पर काबिज चले आ रहे है। जो अवैध काबिज व्यक्ति था तो उपरोक्त श्रेणियों में नही आते अथवा जारी किये गये नोटिस की मियाद के अन्दर निर्धारित राशि नहीं जमा कराते उन्हे बेदखल करने की कार्यवाही तुरन्त ही नियमानुसार की जो उपरोक्त परिपत्र में दी गई व्यवस्था मुताबिक प्रस्तुत अभिलेख से जॉच की गई तो विपक्षी चुन्नीलाल के नाम विकय पत्र कमशः 25.06.65 एवं 13.09.73 होकर मुत्ताकातिर काजिब होना नामान्तरण संख्या 150 दिनांक 03.10.73 से सावित होता है। जहॉ तक मौजुदा प्रचलित दर का प्रश्न है उप पंजियक डूंगरपुर से विवादग्रस्त भूमि की प्रचलित दर मांगी गई तो इनके द्वारा रोहन किस्म भूमि की दर 3000/– तीन प्रति वीघा वतया है। उक्त राशि जिला लेवल कमेटी में पेश सुचियों में भी इसी दर को वताया गया है। मैने उपरोक्त परिपत्र 244–82 एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया विपक्षियों को आदेश दिया जाता है कि प्रचलित बाजार

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

किम्मत रू. 3000/– प्रति बिघा के हिसाब से कुल 11–5 सवा ग्यारह बिघा भूमि की किम्मत रू. 33,750 मठ झालण के मंदिर कोष में जमाकर रसीद पेश करें । उक्त राशि अन्दर म्याद एक पक्ष में जमा करावे अन्यथा यह मान लिया जावेगा कि भूमि विपक्षी नही रखना चाहते है तो निर्णय की प्रति सहित नामानतरण की प्रति सहित राजस्व मण्डल को नामान्तरण खारजी हेतु लिखा जावे। उक्त निर्णय दिनांक 28.01.85 को पारित किया गया।) आदि उल्लेखित किया गया है। नकल दस्तावेज बेनामा आराजी काश्त 03.05.65, नकल नामान्तरण पंजिका 279/267 दिनांक 03.10.73, नकल कलेक्टर महोदय का आदेश 21.03.84, नकल रसीद संख्या 91 दिनांक 80.02.85, नकल रसीद संख्या 92 दिनांक 22.04.85, नकल अधिकार पत्र 10.03.22, नकल जमावंदी खाता संख्या 401/394 कान्ता कुमारी वगैराह 19.07.22, नकल जमाबंदी खाता संख्या 662/389 रमेशचन्द्र वगैराह 09.02.2021 प्रस्तुत किये किये गये।

राजस्व ग्राम डूंगरपुर खास की जमाबंदी संवत 2064 से 2077 तक खसरा नम्बर 1280 (हाल 1558) की नकल प्रस्तुत करने बावत् प्रतिलिपि शाखा द्वारा संबंधित रिकॉर्ड जीर्ण–शीर्ण व अपठनीय होने से उपलब्ध नही होने से प्ररतुत नही किया गया।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिपत्र राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नःग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत वैध रूप से खातेदारी प्राप्त कृषको की खातेदारी विलोपित कर दी, उनके समस्या निराकरण किये जाने परिपत्र दिनांक 24.05.07 में कोई स्पष्ट प्रावधान नही है कि निरन्तरता में स्पष्ट किया गया है कि जहॉं राजस्व विभाग के परिपत्र प.2(4) राज–4/98/37 दिनांक 31.12.91 की पालना में पूर्ववर्ती राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में काश्तकारों की अंकित खातेदारी अंकन को बिना किसी रेफरेंस प्रार्थना पर पारित विधिक आदेश के विलोपित कर दिया है ऐसे मामले राजस्थान भू राजस्व अधिनियक 1956 की धारा 136 में रिकार्ड दुरस्ती के प्रावधान के अन्तर्गत निर्णत किये जाने विचारणीय है क्योंकि ऐसे मामलों जिनमें बिना किसी विधिक आदेश के खातेदारी अंकित का रिकॉर्ड तैयारी के समय विलोपन कर दिया हो, उन्हे पत्र दिनांक 31.12.91 की गलत व्याख्या के तहत की गयी लिपिकीय भूल ही माना जावेगा और ये राजस्थान भू राजस्व अधिनियक 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत अंकन दुरूरत करने की श्रेणी में आते है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की लिखित बहस एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन कर मनन किया गया। उक्त भूमि का माफीयात में दर्ज खातेदारों के द्वारा विधिक बेचान हुआ एवं इसी आधार पर नामान्तरण दर्ज है परन्तु वर्तमान जमाबंदी में खातेदारों के नाम के आगे माफी प्रयोजनार्थ शव्द हटाया जाना है। उपरोक्त के कम में इस प्रकरण में वादीगण खातेदार कृषक होना सावित होता है तथा तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार वादीगण का लगातार कब्जा रहा है तथा माफी प्रयोजनार्थ होने से वादीगण के स्वतन्त्र स्वामीत्व की भूमि होने की इन्द्राज दुरस्ती करायी जानी आवश्यक है। अतः जमाबंदी से माफी पुजनार्थ हटाया जाना न्यायहीत में आवश्यक है। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है वादग्रस्त आराजी डूंगरपुर के खाता संख्या 230 खसरा संख्या 1280 रकबा 11–5 (सवा ग्यारह) बीघा हाल जमाबंदी आधार संवत 2078–2078 वर्ष 2021 से खाता संख्या 401 नया खाता संख्या 394 खसरा नम्बर 1518 रकबा 1.8210 हेक्टेयर बरानी 1 में वादीगण के नाम से माफी पुजनार्थ शब्द को हटाने तहसीलदार डूंगरपुर आदेशित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(सांवरलाल आबासुरा)
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर